रजिस्ट्री सं० डी.एल.-33004/95 REGD. NO. D.L.-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 496] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 1995/भाद्र 3, 1917
No. 496] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 1995/BHADRA 3, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क

अधिसूचना

चण्डीगढ़, 16 अगस्त, 1995

सं० नं० 4/95-सीमा शुल्क (एन. टी.) एन. जैड. ओ.

का० आ० 740 (अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 33/94-सी.शु. (एन.टी.) दिनांक 1-7-94 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा पंजाब के जिला लुधियाना के गांव भोलापुर को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की संख्या 52) की धारा 9 के अन्तर्गत शतप्रतिशत निर्यात करने वाला उद्यम स्थापित करने के प्रयोजन से भांडागारण स्टेशन घोषित करता हूं ।

[मि० सं० VIII (मुख्या०) (40/3/सीण्शु०)95/19121-19201]

एस. पी. श्रीवास्तव, आयुक्त,
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS & CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION

Chandigarh, the 16th August, 1995

No. 4/95-CUSTOMS (NT) NZO

S.O. 740 (E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 33/94 Customs (NT) dated 1-7-94 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, I hereby declare Village Bholapur, Chandigarh Road, Ludhiana in the State of Punjab to be warehousing station under section 9 of the Customs Act, 1962 (No. 52 of 1962) for the purpose of setting up of hundred percent Export oriented undertaking.

[C. No. VIII(H.Q.) 40/3/Cus/95-19121—19201]
S.P. SRIVASTAV,
Commissioner of Customs & Central Excise

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 • 1995